भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2560

08अगस्त, 2022 को उत्तर के लिए

इस्पात की कीमतों में कमी लाने के लिए उठाए गए कदम

2560. डा. कनिमोझी एनवीएन सोमू:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस्पात जैसी आवश्यक वस्तु की लागत में कमी सुनिश्चित करने हेतु इसकी कीमतों को कम करने की दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) लौह अयस्क, स्क्रैप स्टील और स्टील पैलेट जैसे कच्चे माल की कीमतों को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे भारत से निर्यात न किए जाएं और इनका उपयोग इस्पात संयंत्रों के लिए किया जाए; और

(ग) क्या इस्पात की मूल्य वृद्धि जारी रहने की स्थिति में सरकार का इसके आयात पर शुल्क कम करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)**

(क) से (ग)**:** इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है जहां कीमतें मांग और आपूर्ति, वैश्विक बाजार की स्थितियों, कच्चे माल की कीमतों में रूझानों, लॉजिस्टिक लागत, बिजली और ईंधन लागत आदि से प्रभावित होती हैं। सरकार द्वारा बाजार की स्थितियों और अपस्ट्रीम एवंडाउनस्ट्रीम के प्रयोक्ताओं, दोनों की चिन्ताओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं। हाल ही में सरकार ने कच्चे माल और इस्पात को उचित कीमतों में उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें शामिल हैं:-

(i) केन्द्रीय बजट 2021-22 में, गैर मिश्र-धातु, मिश्र धातु और स्टेनलेस स्टील के सेमीज, फ्लैट और लॉंग उत्पादों पर सीमा शुल्क को 7.5% तक घटा दिया गया है।

(ii) केन्द्रीय बजट 2022-23 में इस्पात स्क्रैप पर सीमा शुल्क में छूट को 31.03.2023 तक बढ़ा दिया गया है, साथ ही इस्पात उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्कों (एडीडी) और प्रतिकारी शुल्कों (सीवीडी) को हटा दिया गया है।

(iii) दिनांक 21.05.2022 की अधिसूचना द्वारा इस्पात के कच्चे माल और अन्य इस्पात उत्पादों के शुल्कों में संशोधन किए गए हैं जिसमें एन्थ्रेसाइट/पल्वेराइज्ड कोल इंजेक्शन (पीसीआई) कोल, कोक, सेमी कोक और फेरो-निकेल पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया है। लौह अयस्क/सांद्र और लौह अयस्क पेलेट पर निर्यात शुल्क को बढाकर क्रमशः 50% और 45% कर दिया गया है और पिग आयरन एवं कई इस्पात उत्पादों पर 15% निर्यात शुल्क लगाया गया है।

******